न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/76/रा.भू.अधि./13/2018/बाड़मेर

अपीलांट

रेस्पोडेंटगण

1. पुरूषोतम पुत्र हरीराम जाति आर्चाय बनाम 1.मेवाराम पुत्र बाबूराम व अन्य

अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी वास्ते निर्णय

उपस्थित

1. वकील श्री कुम्भाराम चौधरी प्रार्थी आवेदक की ओर से
2. वकील श्री मुकेश जैन रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय

दिनांकः– 15.07.2019

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर बहस करते हुए उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए बताया कि अपीलांट उक्त प्रकरण में हितग्राही पक्षकार है परन्तु अपीलांट को उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा तहसीलदार बाड़मेर के न्यायालय में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना–पत्र भी पेश किया गया परन्तु उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.08.2018 से अपीलांट का हित पूर्ण रूप से प्रभावित होने से अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट पक्षकार नहीं होने से अपील पेश करने हेतु अनुमति हेतु आवेदन पेश किया गया है। अपीलांट हितबद्ध एवं ग्राय पक्षकार होने से अपीलांट द्वारा पेश 96 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर अपनी लिखित प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए बहस में बताया कि अपीलांट हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने से अपीलांट को हस्तगत अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करने का अधिकार केवल राज्य सरकार के प्रतिनिधी श्रीमान तहसीलदार को ही है तथा उक्त प्रकरण केवल मात्र राज्य सरकार एवं अप्रार्थी के बीच ही चल सकता है अन्य कोई भी पक्षकार को उक्त प्रकरण में पक्षकार बनने/कन्टेस्ट करने का अधिकार नहीं है। अपीलांट के स्वयं के कथनानुसार उसमें

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था जो खारिज हो गया था, जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपर न्यायालय में कोई रिविजन/अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, इस प्रकार पक्षकार बनने के आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय में पारित आदेश अंतिम हो चुका है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन ने निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2004(2) Page 995
RRD 1993 Page 191

हस्तगत प्रकरण में अपीलांट हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 96 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट प्रस्तुत 96 सी पी सी के आवेदन में केवल हितग्राही पक्षकार होने का उल्लेख मात्र किया है। हितग्राही प्रभावित या व्यथित होने के कारणों का उल्लेख नहीं किया है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय में पक्षकार बनने का पूर्व में उसने आवेदन किया था जिसे अस्वीकार किया गया जो अपीलांट के कथनानुसार स्वीकारोक्ति होने से तथ्य निर्विवादित है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर हुए निर्णय के संबंध में अपीलांट ने आगे कोई चारोजोही बाबत अपील/निगरानी नहीं की लिहाजा वह निर्णय अंतिम हो चुका है। हस्तगत मामला धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत राज्य सरकार एवं उतरदाता के मध्य राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में है। अपीलांट स्वयं अपील में स्वीकार करता है कि "अपीलांट द्वारा अपनी भूमि व सड़क की भूमि के मध्य चारदीवारी का निर्माण करवा रखा है। इस कारण वह हितबद्ध पक्षकार नहीं ठहरता। अपीलाधीन राजकीय भूमि पर यदि कोई अतिक्रमण है तो उसके संबंध में तहसीलदार, बाड़मेर द्वारा निर्णय किया जा चुका है जिसकी अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर के यहां होकर अपीलाधीन निर्णय हो चुका है। यदि इस अपीलाधीन निर्णय से राज्य सरकार व्यथित है तो वह सक्षम स्तर पर वैधानिक उपचार करने को स्वतंत्र है। अपीलार्थी का आवेदन उपरोक्त विवेचन के आलोक में खारिज किया जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

15/7/19

(नखतदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 15.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner